न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 46/2023 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2023/50)

करणसिंह मीना पुत्र श्री रामराज मीना निवासी उदेयी खुर्द थाना पीलौदा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर दिनांक 28.3.2023

उपस्थितिः—

1. श्री गंगाराम शर्मा वकील अपीलान्ट।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः 29.08.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 28.3.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के द्वारा अपनी आत्म सुरक्षा हेतु नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहत अदालत द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर, उपवन संरक्षक, सामाजिक वानिकी सवाईमाधोपुर, तहसीलदार वजीरपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी0आई0डी0 (वि0शा0) भरतपुर एवं पुलिस अधीक्षक सीआईडी (सुरक्षा) राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आवेदन के संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि0शा0) भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट में आवेदक के पिता रामराज मीना के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने, आवेदक के परिजन आपराधिक प्रवृत्ति के होने एवं दो पक्षों में आपसी रंजिश चली आ रही होने की रिपोर्ट के आधार पर एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 14 के बिन्दु संख्या (3) (ii) द्वारा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था को मध्यनजर ऐसी अनुज्ञाप्ति करने से इन्कार करना आवश्यक समझते हुये अपीलान्ट का नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2023 से खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नही। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2020 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए थे। जिला कलक्टर के पत्र संख्या 1215 दिनांक 9.2.21 की अनुपालना में अपीलान्ट ने आर्म्स

डीलर हथियार संचालन एवं रख रखाव का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था। अपीलान्ट के विरूद्ध न तो कोई आपराधिक रिकार्ड है और ना ही कभी दर्ज रहा है। पुलिस अधीक्षक सीआईडी सुरक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा भी अपने पत्र कमांक 114–168 दिनांक 14.3.2022 के द्वारा जिला कलक्टर को यह अवगत कराया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध कोई संदिग्ध गतिविधियां नहीं पायी गई है। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने अति0 पुलिस अधीक्षक सीआईडी (वि0शा0) भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें आवेदक के पिता के विरूद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने, आवेदक के परिजन आपराधिक प्रवृत्ति के होने व दो पक्षों में आपसी रंजिश चली आ रही होने का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र निरस्त किया है। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसार नहीं दिया गया है। अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध जो प्रकरण दर्ज होकर लम्बित होना बताया है, उनमें से किसी भी प्रकरण में अपीलान्ट के पिता को दोषी नहीं माना गया है। केवल प्रकरण दर्ज होने के आधार पर ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र संबंधी आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के परिवार में उसके चचेरे भाई की हत्या एवं हत्या की चश्मदीद गवाह उसकी बहिन की हत्या की गई है। उक्त हत्या को आरोपी मुलजिमान जमानत पर हैं तथा अपीलान्ट व उसके परिजनों को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना आवश्यक था। अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध सम्पत्ति के संबध में हुये झगडे की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्रकरण के आधार पर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट की ओर से शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु अपने व परिवार की सुरक्षा हेतु आवेदन किया गया था तथा अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र जारी किए जाने हेतु सभी विभागों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद भी केवल मात्र अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने के आधार पर अनुज्ञापत्र दिए जाने से इनकार किया गया है। कई वर्षों से अपीलान्ट व उसके परिवार के पीछे बदमाश पडे हुये थे जिनके बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी दे रखी थी। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि दिनांक 16.11.2020 को अपीलान्ट के चचेरे भाई वीकेश मीना की हत्या कर दी गई थी। जिस पर स्थानीय लोगों ने छोटी उदेई/पीलौदा रोड पर जाम लगाया था जिसमें दिनांक 17.11.2020 को प्रदर्शनकारियों व जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के बीच समझौता हुआ था। समझौते की मद संख्या 7 के अनुसार अपीलान्ट के परिवार में हुई हत्या, जनहानि व परिवार की सुरक्षा को देखते हुए जिला कलक्टर ने परिवार के दो व्यक्तियों को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिए जाने का आश्वासन दिया था। इस समझौते पत्र पर जिला प्रशासन की ओर से उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर द्वारा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार अपीलान्ट व उसके चाचा हरसहाय ने दिनांक 24.11.2020 को जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के समस्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए थे। जिसमें से दिनांक 28.03.2023 को अपीलान्ट के चाचा को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया गया परन्तु अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बिना किसी कारण के खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट की बहन हेमा मीना अपीलान्ट के चचेरे भाई के हत्या की चश्मदीद गवाह थी। अपीलान्ट की बहन द्वारा पुलिस अभिरक्षा में बदमाशों के विरूद्ध गवाही दिए जाने पर दिनांक 11.09.2022 को अपीलान्ट की बहन हेमा की भी हत्या कर दी गई। जिससे स्पष्ट है कि प्रशासन अपीलान्ट व उसके परिवार की सुरक्षा करने में विफल रहा। अपीलान्ट के पिता व परिवारजनों को बदमाशों से लगातार मिल रही धमकियों से भयभीत होकर परिवार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के विरूद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय में एसबी किमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या 9198/22 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.10.2022 को यह आदेश पारित किया था कि "State respondant shall ensure protection to the life & liberty of the petitioners" माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बाद जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 15.12.2022 के अनुसार अपीलान्ट व परिवार को सुरक्षा में घर पर पुलिस तैनात की गई। अपीलान्ट अपने पिता का इकलौता पुत्र है, उसकी बहन की हत्या हो चुकी है इसलिए अपीलान्ट व उसके परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना आवश्यक है, ताकि वह अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। अपीलान्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 09.02.2021 की अनुपालना में आर्म्स एसोसिएशन से हथियार संचालन का दिनांक 01.03.2021 का प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत किया था लेकिन इसके बाबजूद भी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध कभी कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। तहसीलदार, सरपंच, वन विभाग, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक सीआईडी जयपुर की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी करने की सहमति दिए जाने के बाबजूद भी अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने सीआईडी भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें अपीलान्ट के पिता पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, के आधार पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र खारिज किए जाने का आदेश दिया है, जबकि उक्त रिपोर्ट में अपीलान्ट को अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने की अनुशंषा की गई है। अपीलान्ट के पिता के भतीजे एवं बहन की हत्या किए जाने के कारण अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध गलत रूप से आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये गये थे। केवल प्रकरण दर्ज होने के आधार पर किसी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध तो किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इसके बाबजूद भी जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने इस संबंध में 2005 सी.आर.आई.एल.जे पेज 3178 केरला उच्च

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। जिसमें बिना न्यायिक विवेक के उपयोग के पारित आदेश को उचित नहीं माना है। इसी प्रकार अपीलान्ट की ओर से शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन दिनांक 24.11.2020 को पेश किया गया था। इस प्रार्थना पत्र का नियमों के अनुसार 3 माह में निस्तारण किया जाना आवश्यक था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा 28.03.2023 को काफी विलम्ब से निर्णय किया गया है, जो कि आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। प्रत्येक नागरिक का आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखना और शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त करना मूल अधिकार है। इस तरह के सिद्धान्त 1993 ए.आई.आर पेज 291 इलाहाबाद हाईकोर्ट, 1968 ए.आई.आर. इलाहाबाद पेज 383 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना की गई। आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना पारित किए गए आदेश को न्यायोचित नहीं माना गया है। इस तर्क के समर्थन में 1969 ए.आई.आर गुजरात पेज 349 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट ने गुरूदेव सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2016 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण लम्बित होने के आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त या निलम्बित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह 2005 (2) सी.आर.एल.आर.राज पेज 907 ताहिर अली बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक केस लम्बित होने के आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर की ओर से आदेश दिनांक 28.03.2023 पारित करने से पूर्व कानूनी प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों पर गौर नहीं किया और न ही न्यायिक विवेक का उपयोग किया है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 की जानकारी दिनांक 10.4.2023 को होने एवं दिनांक 10.04.2023 से राजस्व कार्मिकों की हड़ताल होने से नकल विलम्ब से मिलने के कारण अपीलान्ट की ओर से जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी मीमो आफ अपील के साथ पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2023 निरस्त किया जावे व जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश व वर्ष 2020 में हुए समझौते की पालना में अपीलान्ट व उसके परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने का आदेश जारी किया जावे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 08.05.2023 को अपील पेश की गई है। उक्त अपील मियाद बाहर पेश किए जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2023 की जानकारी दिनांक 10.04.2023 को होने, कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के कारण न्यायालय का कार्य बन्द होने के कारण न्यायालय खुलते ही अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया है। जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अपीलान्ट की ओर से पेश किए गए दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किए गए शस्त्र अनुज्ञापत्र के आवेदन दिनांक 24.11.2020 के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर, उपवन संरक्षक रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी (विशा) जोन भरतपुर, तहसीलदार वजीरपुर को अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखा गया। अपीलान्ट को भी आर्म्स एसोसिएशन (डीलर) आरमोरर पुलिस लाइन से हथियार संचालन/रखरखाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में अपीलान्ट की ओर से जिला आरमोरर पुलिस लाइन सवाई माधोपुर की ओर से जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिनांक 01.03.2021 प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर की ओर से भी अपने पत्र दिनांक 06.04.2021 के द्वारा अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.04.2021 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया जाना उचित बताया। उपवन संरक्षक सवाई माधोपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.04.2021 में अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने की अनुशंषा की गई। इसी प्रकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी (विशा) जोन भरतपुर ने पत्र दिनांक 19.03.2021 में अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख करते

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हुए अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने हेतु अनापत्ति की गई। पुलिस अधीक्षक सीआईडी सुरक्षा जयपुर के द्वारा पत्र दिनांक 14.03.2022 के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं होना बताया गया। इस प्रकार सभी विभागों की ओर से अपीलान्ट को अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने में अनापत्ति/अभिशंषा भिजवाई गई। जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.03.2023 में अपीलान्ट के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी. आई.डी (विशा) भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें आवेदक के पिता रामराज मीणा के कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने, आवेदक के परिजन आपराधिक प्रवृत्ति के होने एवं दो पक्षों में आपसी रंजिश चली आ रही होने के उल्लेख के आधार पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 14 के बिन्दु संख्या (3) (II) द्वारा लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था के मध्यनजर ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करना आवश्यक समझते हुए अपीलान्ट आवेदक की ओर से प्रस्तुत नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन खारिज किया है, जो कि वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन को खारिज किए जाने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर ही दिया और न ही विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त हुई रिपोर्टों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन ही किया। जबकि जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को अपीलाधीन निर्णय में विभिन्न विभागों से प्राप्त रिपोर्टस के संबंध में विवेचन करते हुए न्यायिक विवेक का उपयोग करने के बाद स्पष्ट व विस्तृत निर्णय पारित करना था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की ओर से बहस में संदर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण करने तथा विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त हुई रिपोर्टस के संबंध में विवेचन करते हुए न्यायिक विवेक का उपयोग कर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर